# न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14— फारम संख्या 562,

राज्य।

बनाम

मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19M-3168 एवं आँगन

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला— सहरसा, केस संख्या— **415/2020—21,**

केस का प्रकार— बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19M-3168 एवं आँगन के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

| ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **—: आदेश :—**<br>प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक 220/म0नि0 एवं दिनांक–10.06.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव विशेष वाद संख्या— 577/2019, में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण एवं मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19M-3168 एवं आँगन के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–खोनहा, थाना–बिहरा, घटना की तिथि– 24.11.2019 के साथ वर्णित है कि–<br>"गुप्त सूचना के आधार पर अपने अधीनस्थ उत्पाद कर्मी प्रतिनियुक्त SAP व BHG के साथ की गई विधिवत छापेमारी में अभियुक्त के आंगन में अवस्थित पूरब–दक्षिण कोने के एसवेस्टस वाले कमरा तथा दरवाजे पर खड़े मोटर साईकिल Reg. No.–BR-19M-3168 से Imperial Blue के 750 एम0एल0 का क्रमशः दस तथा 02 पीस विदेशी शराब बरामद हुआ। अर्थात 750 एम0एल0 के 12 बोतल 09 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। सक्षम जाँच अधिकारी के पास जाँच के लिए भेजा गया। जप्त नमूना प्रदर्श की मात्रा–750 एम0एल0 शेष विनष्टीकरण हेतु निम्न वर्णित है।"<br>प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19M-3168 के अधिहरण करने हेतु अनुरोघ किया गया है।<br>उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन | |

नं0–BR-19M-3168 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

वाहन मालिक मनोज यादव, पिता– सुरेश प्रसाद यादव उर्फ सुरेश यादव, साकिन– खोनहा वार्ड नं०– 13, थाना– बिहरा, जिला– सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

वाहन मालिक का कहना है कि जप्त वाहन से संबंधित समस्त कागजात उनके पास उपलब्ध है। जप्त वाहन को मुक्त किये जाने को लेकर उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC NO-4790/2020 दायर किया गया। जिसके अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जप्त वाहन के मुक्ति हेतु इस न्यायालय में आवेदन दाखिल किये जाने हेतु निदेशित किया गया। उक्त पारित आदेश के आलोक में ही इनके द्वारा इस न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया है।

वाहन मालिक का आगे कहना है कि वे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC NO- 4790/2020 के अन्तर्गत पारित आदेश के आलोक में इस न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक शर्तो के अनुपालन किये जाने हेतु तैयार हैं। उनके ओर से मुख्यतः इन्हीं तथ्यों के साथ जप्त वाहन को मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि वाहन का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19M-3168 को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

वाहन मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना। विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) के अभिकथन तथा अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19M-3168 से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। चूँकि वाहन में अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था।

अतः, आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19M-3168 को बिहार मद्य निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिहरण किया जाता है। अधीक्षक

| | | |
|---|---|---|
| | उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को एवं सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भी भेजें।<br>इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।<br>लेखापित एवं शुद्धिकृत<br>समाहर्त्ता सहरसा। — समाहर्त्ता सहरसा। | |

ज्ञापांक 921 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 08.12.20

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

जिमा-प्र-पत्र वि. जाग ५८१०
१८।।।.

०५ प्रती